दस रुपये TEN RUPEES 1 ENTY RUPEES

26

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 R 3904-7-16

निगरानीकर्ता..........

श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्व. श्री सुन्दर सिंह, उम्र 85 वर्ष, व्यवसाय ग्रहकार्य, निवासी– हरपालपुर, जिला छतरपुर, (म.प्र.)

विरुद्ध

प्रतिनिगरानीकर्ता...........

1. सीमा सिंह बेवा स्व. श्री चन्द्रप्रकाश सिंह,
2. विश्वास सिंह नाबालिग पुत्र स्व चन्द्र प्रकाश सिंह
3. तृप्ति नाबालिग पुत्री स्व. चन्द्रप्रकाश सिंह
4. पूनम सिंह बेवा देवदास सिंह
5. प्रियंका सिंह पुत्री देवदास सिंह संरक्षक पूनमसिंह
6. कु. अंशुसिंह पुत्री स्व. देवदास सिंह

   समस्त निवासीगण हरपालपुर तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)
7. श्रीमती निर्मला सिंह पुत्र स्व0 सुन्दर सिंह
8. किरन पुत्री स्व. सुन्दर सिंह
9. घासीराम पुत्र मूलचन्द्र विश्वकर्मा

   समस्त निवासीगण हरपालपुर तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

18.11.16

18.11.16

560 18.11.16

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरुद्ध अपील ... आदेश दिनांक 28/12/2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 03/अपील/13–14

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3904-एक/2016 जिला - छतरपुर भगवती विरूद्ध सीमासिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अभिभाषक अनुपस्थित एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 5 ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के प्रकरण क्रमांक 03/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-12-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

20.12.18

है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य